1137

[2023] 4 एस. सी. आर 1137

ए.

मुकेशभाई वल्लभगाई अभंगी बनाम।

गुजरात राज्य

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 1391) 04 मई, 2023

बी.

[अजय रस्तोगी और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.]

जमानतः अनुदान–अपीलार्थी, अभियुक्त सं।1 जो एक संगठित अपराध सिंडिकेट का संचालन कर रहा था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या, धन–शोधन, गुप्त गवाह 11 पर एक सौदा करने के लिए दबाव डाला गया था–एस. डब्ल्यू. 11 को संगठित अपराध सिंडिकेट के नेता के दोनों लेनदारों के साथ लगभग 18 अलग–अलग बिक्री विलेखों को निष्पादित करने की धमकी दी गई थी। 1 या अपीलार्थी के लेनदारों–कथित रूप से अपीलार्थी ने उक्त व्यक्तियों से 50,000 वर्ग फुट भूमि की उगाही की थी–2015 के अधिनियम और दंड संहिता, 1860 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी के खिलाफ प्राथमिकी–अपीलार्थी द्वारा जमानत आवेदन–उच्च न्यायालय द्वारा खारिज–अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः तत्काल मामले से पहले केवल एक मामला था, वह भी वर्ष 2014 का और उच्च न्यायालय द्वारा आरोप–पत्र दायर करने से पहले भी उसकी प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था, यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो अपीलार्थी को मदद करता है और संतुलन को अपने पक्ष में झुकाता है–अपीलार्थी जमानत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सफल रहा है–इसके अलावा, अपीलार्थी पिछले ढाई साल से जेल में है और यह पहली बार है, उस पर इस तरह के अपराधों का आरोप है–इस प्रकार, अपीलार्थी को ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है जो निचली अदालत द्वारा उचित पाए जाते हैं–गुजरात आतंकवाद नियंत्रण और संगठित अपराध अधिनियम, 2015–एस।3(1), 3(2), 3(3), 3(4) और 3 (5) और 4–दंड संहिता, 1860–एस।386, 387, 506(1), 506(2), 507, 201, 120 बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

गुजरात राज्य बनाम संदीप ओमप्रकाश गुप्ता 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1727; महाराष्ट्र राज्य बनाम शिवा उर्फ

शिवाजी रामाजी सोनावने (2015) 14 एस. सी. सी. 272:[2015]

जी.

9 एस. सी. आर. 211; मोहम्मद इलियास मोहम्मद बिलाल कपाडिया बनाम गुजरात राज्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 713; गुडीकांती नरसिम्हुलु बनाम लोक अभियोजक, (1978)

1 एससीसी 240:[1978] 2 एस. सी. आर. 371; निरंजन सिंह बनाम

प्रभाकर राजाराम खरोटे (1980) 2 एस. सी. सी. 559:[1980] ए.

एच.

1137

1138 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 4 एस. सी. आर.

3 एस. सी. आर. 15; विलास पांडुरंग पवार बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2012) 8 एससीसी 795:[2012] 8 एस. सी. आर. 270–संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 9 एससीआर 211

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

बी.

[1978] 2 एससीआर 371

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[1980] 3 एससीआर 15

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[2012] 8 एससीआर 270

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 1391।

सी.

2021 के सी. आर. एम. ए. सं. 13783 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 28.11.2022 के निर्णय और आदेश से।

मनिंदर सिंह, सुश्री नित्या रामकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, ई. सी. अग्रवाल, सुनील मुरारका, अंकुर सहगल, गुन्नम वेंकटेवरा राव, सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, सुश्री अन्वेशा पाधी, प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित, अलापति साहित्य कृष्ण, सुश्री निधि मित्तल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डी.

एस. वी. राजू, ए. एस. जी., सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भट्ट, प्रवीण कुमार सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे।

छुट्टी दे दी गई।

एफ.

2. वर्तमान अपील 2021 के आपराधिक विविध आवेदन No.13783 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय (इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 28.11.2022 (इसके बाद "विवादित निर्णय" के रूप में संदर्भित) के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें जमानत पर रिहाई के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है।

जी.

वास्तविक प्रिज्मः

3. अपीलार्थी गुजरात आतंकवाद नियंत्रण और संगठित ए की धारा 3 (1), 3 (2), 3 (3), 3 (4) और 3 (5) और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए "ए" डिवीजन पुलिस स्टेशन, जामनगर, गुजरात में दर्ज 2020 की एफ. आई. आर. सं. आई.–11202008202186 में अन्य लोगों के साथ आरोपी है।

एच.

1139

मुकेशभाई वल्लभाई अभंगी बनाम गुजरात राज्य [अहसनूद्दीन अमानुल्लाह, जे.] ए.

अपराध अधिनियम, 2015 (इसके बाद "जी. सी. टी. ओ. सी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की धारा 386,387,506 (1) और 506 (2) के साथ पढ़ा जाता है।वर्तमान अपीलार्थी को अभियुक्त नं.8 उक्त एफ. आई. आर. में।

4. यह मामला प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था कि आरोपी नं.1 जयसुख मुलजिभाई रणपाराय @जयेश पटेल गुजरात राज्य के जामनगर शहर में एक संगठित अपराध सिंडिकेट का संचालन कर रहा था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या, धन–शोधन आदि शामिल थे।

बी.

5. यह पता चला कि इस तरह के उद्देश्य के लिए, मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए, उसने भूमि–मालिकों और रियल्टरों/डेवलपर्स को धमकी दी और उन्हें शारीरिक चोट और उनकी जान को खतरे में डालने की धमकी दी।यह भी पता चला कि विभिन्न वॉट्सऐप कॉल को इंटरसेप्ट किया गया था, जिसमें अन्य व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया गया था, जो सह–आरोपी के रूप में सामने आए हैं।अपीलार्थी जामनगर में कई भूमि विकास परियोजनाओं में शामिल एक निर्माण कंपनी शिवधारा बिल्डकॉन से जुड़ा हुआ है।गुप्त गवाह 11 (इसके बाद "एस. डब्ल्यू. 11" के रूप में संदर्भित) द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि जे. जे. जसोदनाथ योजना के संबंध में Rs.16,00,00,000–(सोलह करोड़ रुपये) ऋण का भुगतान करने के लिए, अपीलार्थी ने अपने कार्यालय के पास एक संपत्ति की पेशकश की थी।जब एस. डब्ल्यू. 11 ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो अगले ही दिन, अपीलार्थी ने आरोपी नं.1 एस. डब्ल्यू. 11 पर दबाव डालने के लिए।इसके बाद, एस. डब्ल्यू. 11 को संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा प्रस्ताव का पता लगाने के लिए धमकी दी गई और दबाव डाला गया, जिसके तहत लगभग 50,000 वर्ग फुट, जिसमें अपीलार्थी की जे. जे. जसोदनाथ योजना से 26,000 वर्ग फुट और एक अश्विन विरानी (पी. डब्ल्यू. 85) से 24,000

वर्ग फुट शामिल थे, जो जय हरि-3 (खोडल विला) योजना चला रहे थे, को एस. डब्ल्यू. 11 को वापस दिखाया जाना था। लेकिन यह आरोप लगाया जाता है कि एस. डब्ल्यू. 11 को बाद में संगठित अपराध सिंडिकेट (आरोपी संख्या 1) के नेता या अपीलकर्ता-आरोपी संख्या 1 के लेनदारों के साथ लगभग 18 अलग-अलग बिक्री विलेखों को निष्पादित करने की धमकी दी गई थी।8, या वर्तमान अपीलार्थी को ज्ञात व्यक्ति।वास्तव में, यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने पूर्व-वर्णित व्यक्तियों से 50,000 वर्ग फुट भूमि की उगाही की थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अपीलार्थी द्वारा निवेदनः

6. यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में अपीलार्थी के खिलाफ दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट पर गलती से भरोसा किया, इस तथ्य के बावजूद कि इसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया था।इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि घटना, जिसके लिए 2014 की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, एक व्यक्तिगत प्रकृति की थी और ऐसा नहीं था

एच.

अपीलार्थी का आरोप, जो किसी भी तरह से, किसी भी संगठित अपराध सिंडिकेट से संबंधित है।यह बताया गया कि उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।

7. विद्वान वकील ने गुजरात राज्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया

बनाम संदीप ओमप्रकाश गुप्ता, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1727, दिनांकित

बी.

15.12.2022, पैराग्राफ संख्या 49,56 और 57 में प्रासंगिक है, जो

महाराष्ट्र राज्य बनाम शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावने की पुष्टि करते हुए,

(2015) 14 एस. सी. सी. 272, जो यह निर्धारित करता है कि "संगठित अपराध" के बचाव को पिछले दस वर्षों में एक से अधिक आरोप पत्रों द्वारा प्रमाणित गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने के अलावा निरंतरता की कम से कम एक घटना द्वारा गठित किया जा सकता है।

सी.

8. विद्वान वकील ने एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 30.05.2022 निर्णय का भी उल्लेख किया। 2022 का सं. 1815 जिसका शीर्षक 'मोहम्मद' है।

इलियास मोहम्मद बिलाल कपाडियाव स्टेट ऑफ गुजरात ', तब से रिपोर्ट किया गया

2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 713 के रूप में, जिसमें जी. सी. टी. ओ. सी. अधिनियम की धारा 2 (सी) भी शामिल थी और इस आधार पर जमानत दी गई थी कि केवल एक

डी.

आरोप पत्र एक ऐसी गतिविधि के संबंध में दायर किया गया था जिसे धारा 2 (सी) के तहत "एक से अधिक आरोप पत्र" की आवश्यकता के विपरीत अपीलार्थी/आवेदक द्वारा ऐसे सिंडिकेट की ओर से एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में किया गया था।

जीसीटीओसी अधिनियम। उत्तरदायी राज्य की प्रस्तुतियाँः

ई.

9. श्री एस. वी. राजू, राज्य की ओर से पेश होने वाले भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी आरोपी नं.1 जयसुख @जयेश मुलजिभाई रणपारा (पटेल) और पूछताछ के दौरान, सह-अभियुक्तों ने कहा है कि अपीलकर्ता जयसुख @जयेश मुलजिभाई रणपारा (पटेल) को डेवलपर्स की परियोजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करता था और इस प्रकार, जबरन वसूली की पूरी कवायद को सुविधाजनक बनाता था।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जाँच के दौरान अपीलार्थी से जब्त किए गए मोबाइल फोन से पता चला कि वह संगठित अपराध सिंडिकेट के संपर्क में था।यह प्रस्तुत किया गया था कि विवादित निर्णय इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।विश्लेषण, कारण और निष्कर्षः

एफ.

जी.

10. हमारे विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।मार्गदर्शन है –

गुडीकांती नरसिम्हुलु बनाम लोक अभियोजक, (1978)

1 एससीसी 240:

एच.

1141

मुकेशभाई वल्लभाई अभंगी बनाम गुजरात राज्य [अहसनूद्दीन अमानुल्लाह, जे.] ए.

ए.

." 3. फिर, इस जमानत के संदर्भ में "न्यायिक विवेकाधिकार" क्या है? बेंजामिन कार्डोजो [न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति-येल विश्वविद्यालय प्रेस (1921)] के सुरुचिपूर्ण शब्दों मेंः

"न्यायाधीश, भले ही वह स्वतंत्र हो, फिर भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है।उसे आनंद में नवाचार नहीं करना है।वह सुंदरता या अच्छाई के अपने आदर्श की खोज में अपनी इच्छानुसार घूमने वाला शूरवीर नहीं है।उसे पवित्र सिद्धांतों से प्रेरणा लेनी है।उसे असमंजस की भावना, अस्पष्ट और अनियंत्रित परोपकार के आगे नहीं झुकना है।उसे परंपरा द्वारा सूचित, सादृश्य द्वारा व्यवस्थित, प्रणाली द्वारा अनुशासित और "सामाजिक जीवन में व्यवस्था की प्राथमिक आवश्यकता" के अधीन विवेक का प्रयोग करना है।विवेक का क्षेत्र सभी विवेक में पर्याप्त रूप से फैला हुआ है।."

बी.

सी.

फिर भी लॉर्ड कैमडेन की तीखी शर्तों पर ध्यान देना उपयोगी है कि [1 बोवु, लॉ डिक्ट।, रॉल्स का तृतीय संशोधन पी।885 — न्यायिक विवेकाधिकार में उद्धृत–राज्य न्यायपालिका का राष्ट्रीय महाविद्यालय, रानो, नेवादा पी।14] "एक न्यायाधीश का विवेकाधिकार तानाशाहों का कानून हैःयह हमेशा अज्ञात होता है, यह अलग–अलग पुरुषों में अलग होता है; यह आकस्मिक है, और संविधान, स्वभाव और जुनून पर निर्भर करता है।सर्वश्रेष्ठ में, यह अक्सर मनमौजी होता है; सबसे खराब में, यह हर बुराई, मूर्खता और जुनून है जिसके लिए मानव प्रकृति उत्तरदायी है।

डी.

ई.

4. कुछ न्यायविदों ने "न्यायिक विवेकाधिकार" शब्द को गलत नाम माना है।फिर भी, विवेकाधिकार निहित करना हमारी न्यायिक प्रणाली का अनकहा लेकिन अपरिहार्य, मौन आदेश है, और जो लोग इसका प्रयोग करते हैं, वे याद रखेंगे कि विवेकाधिकार, जब न्यायालय में लागू होता है, तो इसका मतलब कानून द्वारा निर्देशित ध्वनि विवेकाधिकार होता है।इसे नियम द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि हास्य द्वारा; यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि कानूनी और नियमित होना चाहिए।

एफ.

एक न्यायाधीश के विवेक के लिए एक अपील उसकी न्यायिक अंतरात्मा के लिए एक अपील है।विवेकाधिकार का प्रयोग कानून के स्थापित सिद्धांतों के विरोध में नहीं, बल्कि उनके अनुसार किया जाना चाहिए।[न्यायिक विवेक, (आई. बी. आई. डी.) पी.33] "

जी.

(जोर दिया गया) 11।किसी भी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह न रखने के लिए, हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के प्रचुर संदर्भ से बच रहे हैं।निरंजन में

एच.

सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे, (1980) 2 एस. सी. सी. 559, यह न्यायालय

यह देखा गयाः

" 3... जमानत आवेदनों पर आदेश पारित करते समय साक्ष्य की विस्तृत जांच और गुण–दोष के विस्तृत प्रलेखन से बचना चाहिए।किसी भी पक्ष को यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि उनके मामले में पूर्वाग्रह रहा है।प्रथम दृष्टया किसी मामले के बारे में संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आदेश में गुण–दोषों के विस्तृत अन्वेषण के समान नहीं है।."

बी.

(जोर दिया गया)

12. विलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012)

सी.

8 एस. सी. सी. 795, इस अदालत ने राय दी। "इसके अलावा, जमानत के आवेदन पर विचार करते समय, साक्ष्य और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री की सराहना की गुंजाइश सीमित है।अदालत से रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आलोचनात्मक विश्लेषण में शामिल होने की उम्मीद नहीं की जाती है।

13. इन मामलों में उजागर किए गए कानून के साथ सम्मानजनक सहमति होने के कारण, हम गुण–दोष पर अपने विचारों का विवरण देने से बचते हैं।

डी.

14. मामले पर विचार करने के बाद, अदालत ने पाया कि अपीलार्थी को जमानत देने पर विचार करने के उद्देश्यों के लिए, इस स्तर पर, यह तथ्य कि वर्तमान मामले से पहले केवल एक ही मामला था, वह भी वर्ष 2014 का और इसकी प्राथमिकी को उच्च न्यायालय द्वारा आरोप पत्र दायर करने से पहले ही खारिज कर दिया गया था, यहां तक कि तर्क के लिए भी, यदि स्वीकार किया जाता है, तो अपीलार्थी की मदद करता है और संतुलन को उसके पक्ष में झुकाता है।अपीलार्थी जमानत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सफल रहा है।

ई.

15. अपीलार्थी 16.10.2020 अर्थात ढाई साल से अधिक समय से जेल में है।मान लीजिए, यह पहली बार है जब उन पर इस तरह के अपराधों का आरोप लगाया गया है।16. तदनुसार, अपीलार्थी को ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए जो विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उचित पाए गए हों।17. राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए हम निम्नलिखित शर्तों को भी लागू करते हैं:

एफ.

जी.

I. अपीलार्थी हर सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जाँच अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

II. अपीलार्थी अपने अच्छे व्यवहार के संबंध में निचली अदालत को एक वचन देगा।

एच.

ए.

III. अपीलार्थी किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित करने या अभिलेख के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगा।

IV. अपीलार्थी का पासपोर्ट, यदि पहले से सरेंडर नहीं किया गया है, तो ट्रायल कोर्ट को सरेंडर कर दिया जाएगा।

18. बॉन्ड या उपक्रम के नियमों और शर्तों का कोई भी उल्लंघन प्रत्यर्थी को अपीलार्थी की जमानत रद्द करने के लिए तेजी से कदम उठाने का अधिकार देगा।

बी.

19. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।इस संदर्भ में कोई भी लंबित आवेदन (आवेदन) बंद कर दिए गए हैं।

सी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राखी, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.